

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 16.09.2022

RM रोडवेज के ऊपर बस चढ़ाने का प्रयास करने वाला बस चालक गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल पर्यवेक्षण में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0728/2022 धारा 279, 336, 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहरी यादव निवासी बारीपुर टोला, पानपुर थाना भलुअनी, जनपद देवरिया उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

संक्षिप्त घटना व पृष्ठताछ विवरण:-

दिनांक: 14.09.2022 को वादी धर्मेन्द्र राय चालक इन्टरसेप्टर UP32KH3184 उ0प्र0 परिवहन निगम गोरखपुर के लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 12.09.2012 समय 20.30 बजे शाम को बस स्टेशन गोरखपुर पार्किंग की ड्यूटी कर रहा था कि एक प्राइवेट बस UP52T1688 रोडवेज के सामने चौराहे पर जाम लगा कर देवरिया के लिए यात्री भर रहा था जिससे जाम लग गया था उसी समय मैं व RM साहब मना किये तो हम दोनों पर बस चढ़ाने का प्रयास किया तथा हम लोगों ने बस चालक को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह बस चालक बस छोड़कर भागने में सफल हो गया के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहरी यादव निवासी बारीपुर टोला, पानपुर थाना भलुअनी, जनपद देवरिया उम्र करीब 33 वर्ष।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 728/2022 धारा 279, 336, 307 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशिभूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी थाना कैण्ट गोरखपुर
3. हे0 का0 धीरज सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 आनन्द सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. का0 राजेश सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर